न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 38 सन 2021

अनवान :–

1. हरीसिह पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. मनफुलराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रामलाल सहू पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. सजना पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 48/47 की कुल15.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव मृतक धनी पत्नी उदाराम पूर्णराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता उदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक धनी पत्नी उदाराम एवं पूर्णराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज हुई है।

वादी की माता धनीदेवी एवं भाई पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है पूर्णाराम लावल्द फोत हुआ है पूर्णाराम कंवरा ही फोत हुआ है इसलिये धनी एवं पूर्णाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो धनी एवं पूर्णाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एंव प्रतिबादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि हैं।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी की माता धनी एवं भाई पूर्णाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उदाराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं धनी पत्नी उदाराम एवं पूर्णाराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज हुई वादीकी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

माता धनी एवं भाई पूर्णाराम को देहान्त हो चुका है पूर्णाराम कंवारा फोत हुआ है जिसके जायज प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो धनी एवं पूर्णाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 48/47 की कुल15.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव मृतक धनी पत्नी उदाराम पूर्णराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता उदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं मृतक धनी पत्नी उदाराम एवं पूर्णराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज हुई है।

वादी की माता धनीदेवी एवं भाई पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है पूर्णाराम लावल्द फोत हुआ है पूर्णाराम कंवरा ही फोत हुआ है इसलिये धनी एवं पूर्णाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो धनी एवं पूर्णाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि हैं।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 48/47 की कुल15.9470हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव मृतक धनी पत्नी उदाराम पूर्णराम पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उसके पिता उदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं माता धनी एवं भाई पूर्णाराम के नाम से दर्ज हुई थी। वादी की माता धनी एवं पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है तथा पूर्णराम कुवारा फोत हुआ है इसलिये धनी एवं पूर्णराम के नाम से दर्ज भूमि के प्रथम श्रेणी

उपखण्ड अधिकारी

के वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो धनी एवं पूर्णाराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में पूर्णाराम कुवारा फोत हुआ है का शपथ पत्र पेश किया वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 48/47 की कुल 15.9470हैक जो धनी पत्नी उदाराम , पूर्णाराम पुत्र उदाराम एवं सजना पुत्री उदाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 3.0385हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 3.0385हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.0385है व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 3.0385हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता में दर्ज हीरा पत्नी श्योकरण का 3793/15947 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरीसिह पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्ण कुमार पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. मनफुलराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. रामलाल सहू पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. सजना पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 38 सन 2021 निर्णय दिनांक– 07/07/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 48/47 की कुल 15.9470हैक जो धनी पत्नी उदाराम , पूर्णाराम पुत्र उदाराम एवं सजना पुत्री उदाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 3.0385हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 3.0385हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.0385है व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 3.0385हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता में दर्ज हीरा पत्नी श्योकरण का 3793/15947 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर